



ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066



EPFO, HEAD OFFICE

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066

www.epfindia.gov.in

सं.पीक्यू/95/2020/बैठकों एवं दिनों के आबंटन का कैलेंडर/8864

8949

दिनांक: 04 जुलाई, 2022

06 JUL 2022

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त-मुख्यालय/ सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
(मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय एवं पीडीनास),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी

विषय : 17वीं लोकसभा के 9वें सत्र तथा राज्य सभा के 257वें सत्र, 2022 (मानसून सत्र, 2022) के
दौरान प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठकों तथा दिनों के आबंटन संबंधी कैलेंडर ।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र तथा राज्यसभा का 257वां सत्र
(मानसून सत्र, 2022) 18 जुलाई, 2022 (सोमवार) से 12 अगस्त, 2022 (शुक्रवार) तक आयोजित
होगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित संसदीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित
तिथियां आबंटित की गई हैं :-

विवरण	लोकसभा	राज्यसभा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित संसदीय प्रश्नों के लिए आबंटित तिथियां	सोमवार	गुरुवार
	18 एवं 25 जुलाई, 2022	21 एवं 28 जुलाई, 2022
	01 एवं 08 अगस्त, 2022	04 अगस्त, 2022

[मानसून सत्र, 18 जुलाई, 2022 (सोमवार) से आरंभ होकर 12 अगस्त, 2022 (शुक्रवार) तक
आयोजित होगा] ।

2. आपसे अनुरोध है कि संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में किसी भी प्रकार की देरी से
बचने के लिए अपेक्षित सूचना/ सामग्री को ई-मेल द्वारा rc.pqcell@epfindia.gov.in पर भेजा जाए।
इसके अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि इस मामले पर किसी भी अतिरिक्त सूचना के लिए
क.भ.नि.सं. की आधिकारिक वेबसाइट को प्रतिदिन देखा जाए। ई-मेल के माध्यम से प्राप्त उत्तरों को
निर्धारित समय-सीमा के भीतर संसदीय प्रश्न अनुभाग को भेजना सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्रीय
भ.नि. आयुक्तों का दायित्व है।

... ..

...

...
...
...
...

...

...

...

1. क्षेत्रीय भाषा विषय विधि आर्यकत-1 (एन.डी.सी.) - क.अ.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अर्जा सहित ।
2. मुख्यालय के सभी अर्जावा ।

...

अपर केन्द्रीय भाषा विषय विधि आर्यकत, (मुख्यालय) संसदीय प्रश्न
(उत्तरा वाचसे)

Handwritten signature

भवदीया,

3. पूर्व में देखा गया है कि कभी-कभी संसदीय प्रश्न बहुत ही कम समय के नोटिस पर प्राप्त होते हैं। अतः आपसे अर्जा सहित है कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी/स्टाफ उक्त अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहें ।